

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2020/8170

संलग्नक दिनांक: 14-8-2020

-कार्यालय द्वाप-

प्राथमिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मोसी कार्यालय जॉन ड्रिपिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु दिल्लीया राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में सचिव कार्यालय में बैठक संवद्वत हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता बुद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मर-6 में डिप्लोमा इन फार्मोसी पाठ्यक्रम संबन्धित करने वाली नई संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"सत्र 2020-21 हेतु नवस्थापित होने वाली डिप्लोमा इन फार्मोसी संस्थाएं जिन्हें पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पीठसीआईओ अनुमोदन पत्र के अन्तर्ग पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथमतः संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा पीठसीआईओ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।"

आ निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्ग पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्ग पाठ्यक्रम एक उत्तरी अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	एस्कॉटी इंजीनियरिंग फार्मोसी लुधियाना एडुकेशन, मुजफ्फरपुर	डिप्लोमा इन फार्मोसी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एस्कॉटी इंजीनियरिंग/पीठसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962 संशोधन विनियमवली-2018 तथा अन्य विनियम विधियों एवं आवेदों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन अर्धवर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-36,500.00/अर्धवर्ष, दो अर्धवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 43,000.00/- अर्धवर्ष एवं एक वर्ष दो अर्धवर्षीय पाठ्यक्रमों (दो अर्धवर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0- 22,500.00 अर्धवर्ष शुल्क की प्रत्येक अत्र/प्रति से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अत्र/प्रस्तावों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले मामलों पर प्रभावी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता अन्तर्गक होता। पीठ निर्णय समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु शीत ऋतु में शिक्षा किया जाता है, तो शीत की भीतरगत परे सत्र, लेनी।

DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION  
 GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH  
 LUCKNOW

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्रारम्भिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने/विचारणावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के लिए वह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुरूके जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एओआई/सीटीआई/पीसीआई/सीटीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनये गये विधि/नियमों/अभिनयनों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एओआई, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, एओआई तथा प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, एओआई द्वारा बनये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में संस्था उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशकत्व एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई खास दावर किया जाता है तथा दावर खास के संस्था में मा. महापालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालय) को मारुम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक फोटो, स्टॉक, मान-सम्मान, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ रैपिड रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासिक/संचालित पाठ्यक्रम की जांच हेतु निरीक्षण समिति के समस्त-उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-माल, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निरीक्षणकर्ता अनुशासनमक कार्यवाही की जायेगी।

(सजीव कुमार सिंह)  
सचिव

फूरम-0- आशिम/परिषद सम्बद्धता/2020/5171-8575

तद दिनांक: 14-8-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, एओआई कॉलेज ऑफ कॉमर्सी एण्ड मैनेजमेंट एजुकेशन, मुजफ्फरनगर।

Director

S. D. College of Pharmacy  
& Vocational Studies  
Muzaffarnagar

(सजीव कुमार सिंह)  
सचिव

## कार्यालय,

### राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

#### उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

#### कार्यालय आप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1316-S D College of Pharmacy & Vocational Studies

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक: 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साशन द्वारा निर्गत किये जाने वाले साशनबंदी प्रभारों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश साशन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत साशनबंदी के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविधायी/अधिविधायी/सामन्वयेकीनिर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बाध्य उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई ब्याज दायर किया जाता है तथा दायर ब्याज के संबंध में ग. ग्यापालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संवर्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन/उ० द्वारा प्रायिक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने लेखाघट्ट पर संस्था की समस्त सुचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राय किया जाने वाला मूल्य, छात्रावास मूल्य आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्राविधिक हेतु उपयुक्त साधनसम उपलब्ध कराने के साथ रैजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संवर्धित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्तरीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुदासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव


फ़ोन- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठित:-

प्रधानाचार्यनिदेशक, S D College of Pharmacy & Vocational Studies

  
 Director  
 S. D. College of Pharmacy  
 & Vocational Studies  
 Meerut/UP

  
 (सुनील कुमार सोनकर)  
 सचिव